	विविध **बैंक प्रकरण संख्या 11/2020(GCMS : 2020/00028) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स गुरूनानक मेडिकल हॉल जरिये प्रो. श्री राजीन्द्र सिंह** पुत्र राज सिंह निवासी मकान नं 23, गली नं. 06, सुरजीत सिंह कॉलोनी, गुरूनानक चौक के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर **2. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री घनश्याम दास** निवासी मकान नं 23, संत किरपाल नगर, श्रीगंगानगर **10.11.2021** **पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थीगण मैसर्स गुरूनानक मेडिकल हॉल–प्रो. श्री राजीन्द्र सिंह एवं श्री राजेश कुमार द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी राजीन्द्र सिंह की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 23 (क्षेत्रफल 15′ गुणा 50′) (उत्तर मुखी), गली नं. 06, सुरजीत सिंह कॉलोनी, गुरूनानक चौक के पास, वार्ड नं 18, जिला श्रीगंगानगर द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी ने बकाया राशि बैंक में जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। **मैने उक्त तर्कों** ... पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 22.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैसर्स गुरूनानक मेडिकल हॉल–प्रो. श्री राजीन्द्र सिंह एवं श्री राजेश कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजीन्द्र सिंह की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 23 (क्षेत्रफल 15' गुणा 50') (उत्तर मुखी), गली नं. 06, सुरजीत सिंह कॉलोनी, गुरूनानक चौक के पास, वार्ड नं 18, जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है कि **ऋणी द्वारा बैंक की समस्त बकाया राशि जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया है, जो शामिल पत्रावली है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 22.01.2020 को खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:36 IST
Reason: SelfAttested